

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 742]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937

No. 742]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 919(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. पी. आर-12012/8/2015-पी.ई.-I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015" होगा।

- (ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।
- (2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, बरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 में सतर्कता विभाग के अंतर्गत मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद के लिए दी गई अनुसूची में :

- (i) कालम 12 की प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"भारत सरकार में कार्यरत उप-सचिव/निदेशक के स्तर के अधिकारी पात्र हैं।"

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 21 जनवरी, 2011 को सं.- साकानि 43(स्था.) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, 1st December, 2015

G.S.R. 919(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12012/8/2015-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

SCHEDULE

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :—

I Short Title and commencement.—

(i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

II In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule, for post of Chief Vigilance Officer under the Vigilance Department –

- (i) The entries under Column No. 12 shall be substituted by the following :

"Officer at the level of Deputy Secretary/Director in the Government of India is eligible".

NOTE : The Principal regulations were notified in the Gazette of India under No. GSR 43(E) dated 21st January, 2011.